कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, उरई (जालौन)।

पत्र संख्या 701/एस0टी0–एस0डी0एम0 दिनांक–मई 07,2020

कार्यालय आदेश

गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश संख्याः 40–03 /2020 –डी0एम0–1 (1) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः381/2020/सी0एक्स–3गृह गोपाल अनुभाग–3 दिनांक 03 मई 2020. के अन्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुपालन में परगना उरई क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगर पंचायत कोटरा एवं एट में व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है।

क्र0 सं0	व्यापार की दुकाने	व्यापार हेतु अतिरिक्त प्रतिबंध	व्यापार संचालित करने का प्रस्तावित दिन व समय	
1	2	3	4	5
1	कृषि उत्पादन मण्डी समिति एट/उपमण्डी स्थल कोटरा प्रातः 8 बजे से 2.00 बजे तक खुलेगी।			
2	सब्जी, फल, दूध–डेयरी, मेडीकल की दुकान	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	प्रतिदिन	प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक
3	हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, साइकिल की दुकान, फर्नीचर की दुकान, कृषि यंत्र	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	प्रतिदिन	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
4	बर्तन, आभूषण की दुकान	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	सोम, बुध व शनिवार	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
5	रेडीमेड गारमेण्ट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग	ट्रायल की सुविधा नहीं दी जायेगी।	सोम, बुध व शनिवार	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
6	बुक स्टेशनरी, फोटोस्टेट, मुहर की दुकान	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	प्रतिदिन	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
7	विशाते/श्रृंगार प्रसाधन की दुकान, क़ॉस्मेटिक्स, चश्माघर	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	सोम, बुध व शनिवार	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
8	मोबाइल की दुकान इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	सोम, बुध व शनिवार	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक
9	सीमेन्ट, मौरंग, गिट्टी की दुकान	दुकान के सामने 6–6 फुट की दूरी पर गोल घेरा बनायेंगे।	प्रतिदिन	प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक

Scanned with CamScanner

10	शराब की दुकानें आबकारी विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार खुलेगी।

नोटः– नाई, चाय, मिठाई, पान–गुटखा एवं मीट की दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।

उक्त सभी दुकाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। दुकानदार अपनी–अपनी दुकान के सामने गोल घेरा 6–6 फुट बनाकर व्यक्तियों के खड़े करने की व्यवस्था करेगे तथा एक समय में 3 से अधिक लोग दुकान पर उपस्थित नहीं रहेगें। यदि दुकानदार द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जायेगी।

प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी व्यक्ति मास्क पहने हुये नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्व द0प्र0सं0 की धारा–188 व EPIDEMIC Diseases Act, 1897 एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

लोकल खरीददारी व अन्य किसी कारणवश यदि कोई भी व्यक्ति शहर क्षेत्र में चार पहिया वाहन का उपयोग करता हुआ पाया जाता तो उस व्यक्ति का चार पहिया वाहन को जब्त कर लिया जायेगा।

मोटरसाकिल (दो पहिया वाहन) भी स्थानीय खरीददारी के दौरान प्रयोग में नहीं लायी जायेगी। यथा–सम्भव पैदल जाकर खरीददारी की जायेगी। यदि बहुत ही जरूरी है तो एक व्यक्ति ही हेलमैट व मास्क लगाकर दो पहिया वाहन चलायेगा व दोपहिया वाहन पर यदि दो व्यक्ति का मिलना, युक्ति–युक्त पूर्ण होना चाहिए। अन्यथा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त दिये गये निर्देशो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी यदि शासन से कोई ओर गाइड लाइन आती है तो उस गाइड लाइन में उल्लिखित शर्तो को भी सम्मिलित किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(सत्येन्द्र सिंह)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
उरई।

पत्र पृष्ठा0सं0: 701 /एसटी0–एस0डी0एम0 तद्दिनांक

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस अधीक्षक,जालौन स्थान उरई को सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि–रा)जालौन स्थान उरई।
4– अपर पुलिस अधीक्षक,जालौन स्थान उरई।
5– उप जिला मजिस्ट्रेट,कोंच।
6– क्षेत्राधिकारी नगर उरई/कोंच को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।
7– जिला सूचनाधिकारी उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
8– प्रभारी निरीक्षक थाना कोटरा एवं एट उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(सत्येन्द्र सिंह)
उप जिला मजिस्ट्रेट,
उरई।

Scanned with CamScanner